



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/2025/डी-

दिनांक

अभिस्वीकृति (Acknowledgement) (प्रारूप 'य')

मैसर्स के.बी.बिल्डर्स
जरिये प्रोपराईटर
श्री भीवाराम पुत्र श्री अर्जुन लाल
श्री कर्मसिंह गढवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द गढवाल,
शॉप नम्बर-1, कविराज मार्केट, गोविन्दपुरा,
कालवाड रोड, जयपुर ग्रेटर।

विषय:- गुलाबाबाडी गृ.नि.स.स. की योजना कैलाशपुरी के भूखण्ड संख्या 15-ए, 16-ए, 17-ए, 18-ए कुल क्षेत्रफल 1037.12 व.ग. (867.47 व.मी.) हेतु AR श्री पीयूष कुमार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित गुलाबाबाडी गृ.नि.स.स. की योजना कैलाशपुरी के भूखण्ड संख्या 15-ए, 16-ए, 17-ए, 18-ए कुल क्षेत्रफल 1037.12 व.ग. (867.47 व.मी.) के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकी विद् से अनुमोदित मानचित्र (Still + 18 मीटर) कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं व पंजीकृत तकनीकी विद् द्वारा जारी मांगपत्र के अनुसार राशि व बैटरमेंट लेवी के 05 उत्तर दिनांक बैंक जविप्रा कोष में प्राप्त कर लिये गये हैं।

आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा। मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के विनियम संख्या 6(1) एवं 6(11) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार ही किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

अतः आप पंजीकृत तकनीकी विद् से अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा। स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

M/S KB BUILDERS

Signature
Partner's

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Anurva Parwal
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.06.11 11:29 IST
Reason: Approved



राम किशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल जयपुर 302004

दूरभाष 801 141 सम्बन्धित कार्यालय 8 इपीडीएस 01 141 2500000 एक्सटेंशन 8 सम्बन्धित कार्यालय फैक्स 01 141 2500000
ईमेल (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

Ref No: 15046709



Scanned with OKEN Scanner

आर्किटेक्ट द्वारा भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

(नगर नियोजन विभाग द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के अन्तर्गत पंजीकृत वास्तुविद्)

पत्र क्रमांक: **DS/BP/Approval/2025/08**

दिनांक: **19-03-2025**

के बी बिल्डर्स

शॉप नं 1, कविराज मार्केट, गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

विषय:- भूखण्ड संख्या 15-ए, 16-ए, 17-ए व 18-ए, कैलाश पुरी, गुंलाबबाड़ी (गृ.नि.स.स) जयपुर में अन्तर्गत, आवासीय योजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा कैलाश पुरी, गुंलाबबाड़ी (गृ.नि.स.स) जयपुर के अन्तर्गत भूखण्ड 15-ए, 16-ए, 17-ए व 18-ए के आवासीय प्रयोजनार्थ, भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तोजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है। प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है:-

भूखण्ड का नाम व क्षेत्रफल : **867.47 वर्गमीटर**

प्रस्तुत भवन का प्रयोजन : आवासीय

भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार) : **40'-0"**

भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार :

क्र.सं.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबेक (मी.)		
	अ) सामने	3.05 M	3.05 M
	ब) पार्श्व प्रथम	4.57 M	4.57 M
	स) पार्श्व द्वितीय	4.57 M	4.57 M
	द) पीछे	4.57 M	4.57 M
2.	आच्छादित क्षेत्र	सैटबेक के अन्दर	सैटबेक के अन्दर
3.	भवन की उँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या	18.0 M	18.0 M [Stilt + 6 Floors]
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	-	4160.54 Sq. M
5.	बी.ए.आर. क्षेत्रफल	2.0 (1734.94 Sq. M)	3.80 (3300.78 Sq. M)
6.	पार्किंग	-	As Detailed
	अ) भू-तल	-	-
	ब) बेसमेन्ट	-	-
	स) स्टिल्ट	24 कार 23 स्कूटर	24 कार 23 स्कूटर

फ्लोर एरिया का विवरण:-	सकल निर्मित क्षेत्रफल	बी.ए.आर. क्षेत्रफल
(अ) स्टिलट	596.12 Sq.M	54.12 Sq.M
(ब) प्रथम मंजिल	586.60 Sq.M	541.11 Sq.M
(स) द्वितीय मंजिल	586.60 Sq.M	541.11 Sq.M
(द) तृतीय मंजिल	586.60 Sq.M	541.11 Sq.M
(य) चतुर्थ मंजिल	586.60 Sq.M	541.11 Sq.M
(र) पंचम मंजिल	586.60 Sq.M	541.11 Sq.M
(ल) छट्टी मंजिल	586.60 Sq.M	541.11 Sq.M
(व) टेरेस	44.82 Sq.M	-
कुल	4160.54 Sq.M	3300.78 Sq.M

- यह भवन अनुज्ञा अवधि 7 वर्ष अथवा तत्कालीन भवन विनियम अनुसार जो भी कम हो, तक प्रभावी रहेगी। भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक है।
- योजना प्लान में दर्शायी गयी सडक प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सडक की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है।
- यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटों में सूचित करूंगा।
- भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के मानदण्डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न बगलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छुपाया गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यदि भवन निर्माता भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण करवाया जावेगा।
- प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सडक कि निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।
- यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिए सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृती रद्द करना होगा।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अन्तर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को **NEFT द्वारा दिनांक 11.03.2025** द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- उपायुक्त, जोन-6, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Ar. Piyush Kumawat
32, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/96
(आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील)

Ar. Piyush Kumawat
32, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/96
(आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील)

मांग पत्र (प्रारूप-द)

दिनांक: 06.03.2025

भूखण्ड का विवरण:-

भूखण्ड संख्या : भूखण्ड संख्या 15-ए, 16-ए, 17-ए व 18-ए, कैलाश पुरी, गुंलाबबाड़ी (गृ.नि.स.स) जयपुर।

भूखण्ड स्वामी का नाम : के बी बिल्डर्स

व पता : शॉप नं 1, कविराज मार्केट, गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

भूखण्ड की माप क्षेत्रफल : 867.47 वर्गमीटर

क्र.सं.	विभिन्न पदों का विवरण	शुल्क गणना	विशेष विवरण
1	प्रार्थना पत्र शुल्क आवासीय / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन ईकाई-200/एकमुश्त आवासीय-200/- एकमुश्त	200	
2	जॉच शुल्क (भूखण्ड क्षेत्रफल पर) आवासीय- 15/- प्रति वर्गमीटर	13,012	
3	मानचित्र अनुमोदन शुल्क 500 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल हेतु निम्न शुल्क देय होगा - भूखण्ड का सकल निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर X 60/- 4160.54 X 60 (आवासीय- 60/-)	2,49,632	
4	वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि भूखण्ड क्षेत्रफल 750 से अधिक व 2500 वर्गमीटर तक 1,00,000/-	N.A.	Liable to be registered in RERA
5	बी. एस. यु. पी. राशी (कुल बी.ए.आर. का 5%, 100/-रु प्रति वर्गफिट कि दर से) (4183.07 X 10.764 X 100 X 5%)	1,77,648	BSUP Fund
6	अतिरिक्त बीएआर वेटमेंट लेवी आवासीय उपयोग हेतु आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत अतिरिक्त बीएआर 1565.84 X 3600 (आरक्षित)	56,37,024	
7	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेस 100/-रु प्रति वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.) पर (बैंक खाता संख्या 919010091350994, Name: Department of Local Bodies, Axis Bank, Branch- C-Scheme, IFSC Code- UTIB0000010) में जमा करवाकर जमा रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।	4,16,054	Fire Cess
8	श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर लागत कर 1%) DD in favour of "Secretary B.O.C.W. Board."	6,04,585	Labour Cess
9	भवन विनियो के अनुसार मौके पर बिना अनुमति निर्मित निर्माण हेतु शास्ती A. भवन विनियमों मापदण्डों के अनुरूप निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत) (बिना स्वीकृति) B. भवन विनियमों के विपरीत निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत) (बिना स्वीकृति) अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (धरोहर राशि)	N.A.	
कुल राशि		70,98,155	
जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करने योग्य राशि		60,77,516	
जयपुर विकास प्राधिकरण में अभी जमा करने योग्य राशि (क्र.01 से 05)		4,40,492	
श्रमिक उपकर में अभी जमा करने योग्य राशि (15 प्रतिशत)		90,688	

नोट:-

1. भवन विनियम, 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु 16 के अनुसार मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जायेगी।
2. भवन विनियम, 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार लेवी की राशि पांच किश्तों में नियमानुसार देय होगी।

क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत	समयावधि
1	प्रथम किश्त	बेटरमेन्टलेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष
2	द्वितीय किश्त	बेटरमेन्टलेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष नो माह
3	तृतीय किश्त	बेटरमेन्टलेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से दो वर्ष छः माह
4	चतुर्थ किश्त	बेटरमेन्टलेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से तीन वर्ष तीन माह
5	पंचम किश्त	बेटरमेन्टलेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से चार वर्ष

नोट: उपरोक्तानुसार किश्तों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (Post dated Cheque) लेकर ही मानचित्र स्वीकृत किये जावें, उत्तर दिनांकित चैक (Post dated Cheque) अस्वीकृत (Dishonour) होने पर चैक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलम्ब अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा, साथ ही पर क्रम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। बेटरमेन्ट लेवी हेतु देय किश्त का चैक किसी विशेष परिसिथिति में अनादरित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक यदि चैक की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में सक्षम अधिकारी 15 को आवेदन प्रस्तुत करता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त किश्त की राशि हेतु छः माह की अवधि हेतु 12 प्रतिशत ब्याज की दर से मय से मय ब्याज जमा कराये जाने की छूट प्रदान की जा सकेगी।

Ar. Piyush Kumawat
32, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/96

(नाम मय हस्ताक्षर पंजीकृत वास्तुविद)

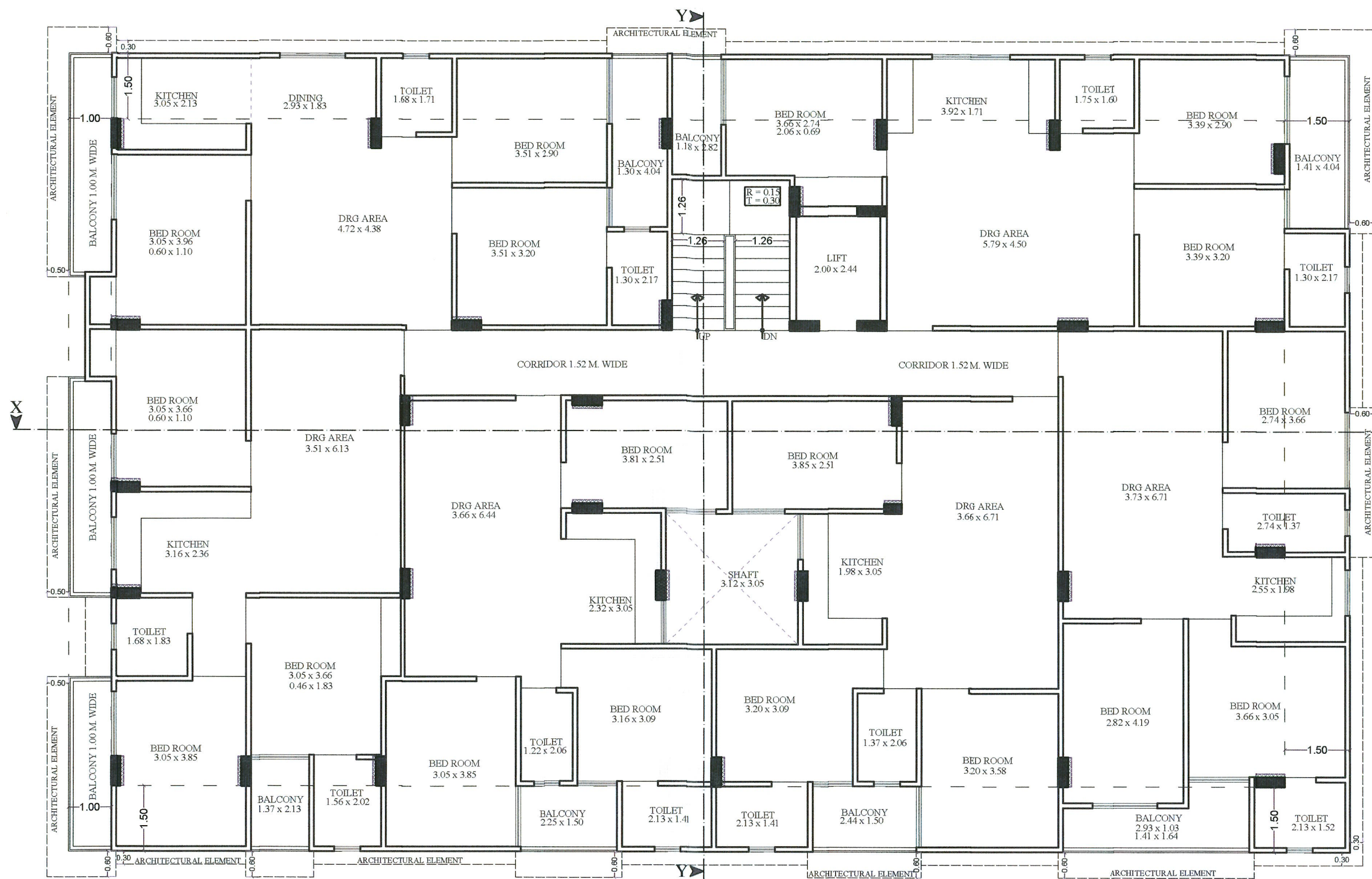
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपायुक्त, जोन-6, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय, जयपुर।

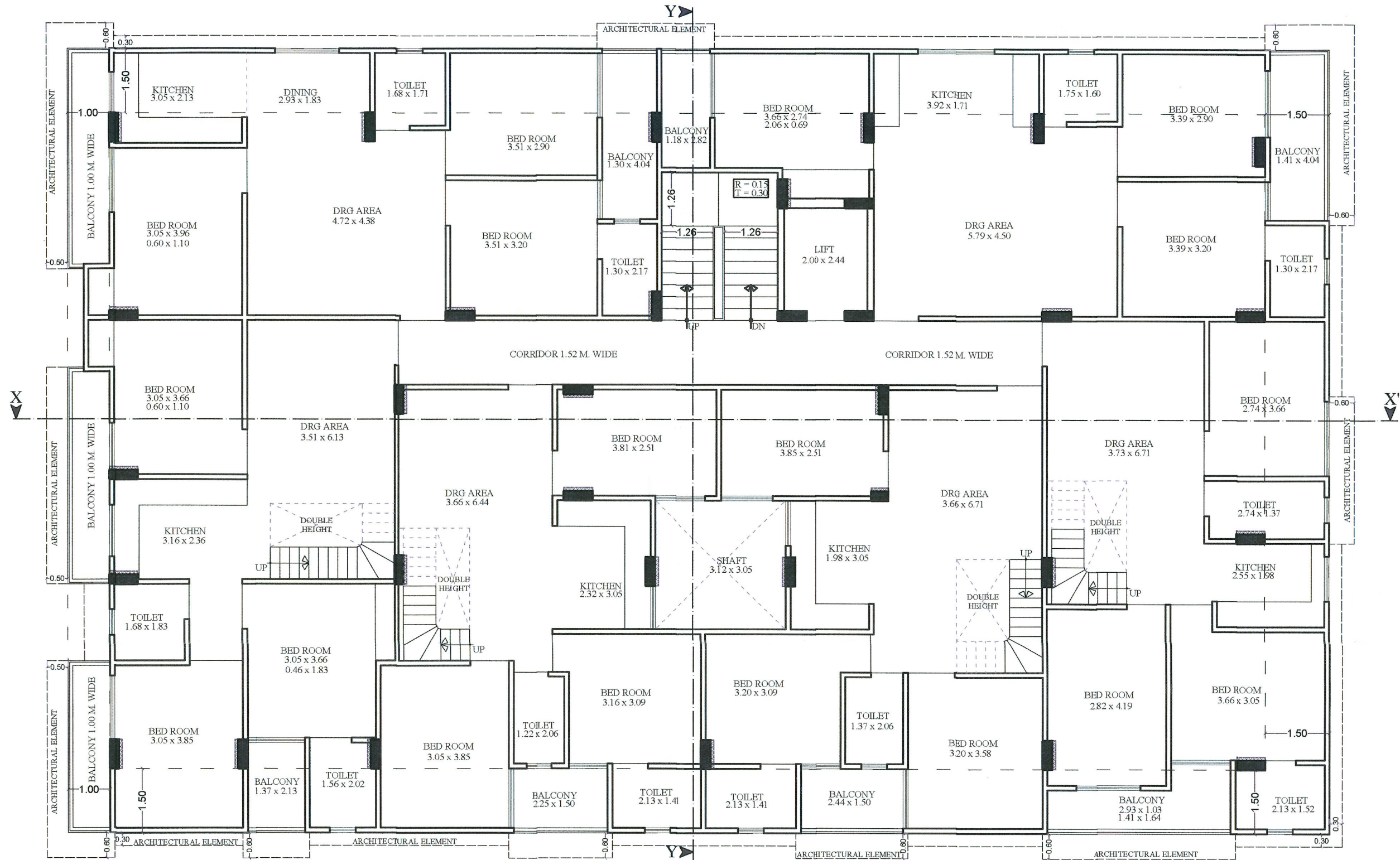
Ar. Piyush Kumawat
32, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/96

भवदीय

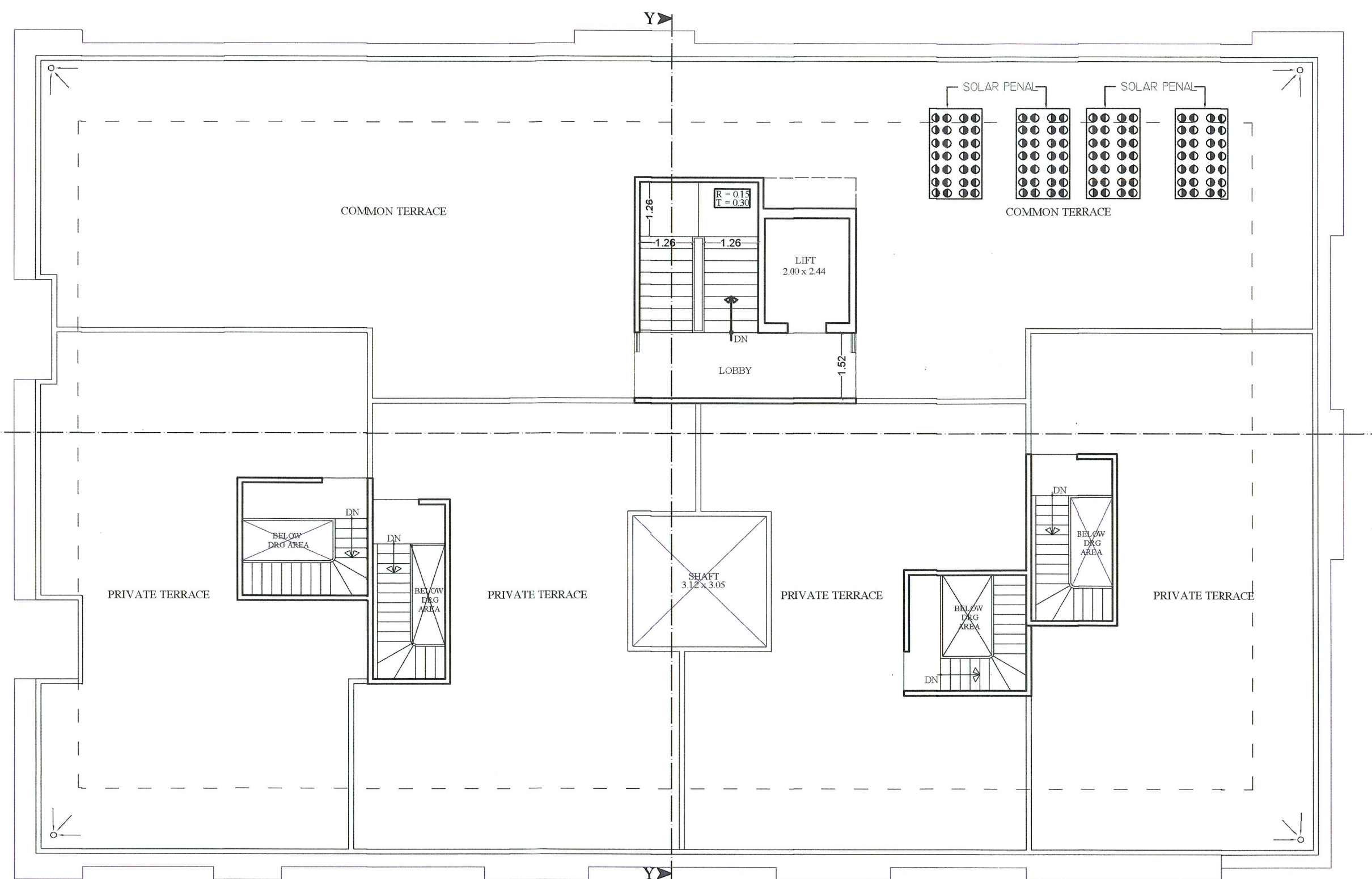
(नाम मय हस्ताक्षर पंजीकृत वास्तुविद)



1st to 5th FLOOR PLAN



6th FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

TERRACE AREA CALCULATION (IN SQ.MT.)
COMMON TERRACE AREA = 188.80 SQ.MT.
TOTAL TERRACE AREA = 528.16 SQ.MT.
PERCENTAGE OF COMMON TERRACE
AREA = 188.80 / 528.16 x 100 = 35.74 %

अनुमोदित
क्रमांक DS/CP/APPROVAL/2025/08
दिनांक 11/05/2025 के सहित अनुमोदित

इन खानगिरी का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी को स्वामित्व संबंधित अधिकार ही प्रमाणित होवे। अनुमोदित किये गये मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Dimension) का दायित्व संरचनात्मक मानचित्रों के अनुसार प्रदर्शित किये गये।

नोट: राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में वर्णित निर्माणों के अनुसार शारीरिक रूप से निम्नलिखित स्थितियों से निम्नलिखित प्रमाणों की सुनिश्चिता का जवाब देना आवश्यक है।

समस्त भू-निर्माण ईकाई/कॉन्ट्रोल/गुण सार्वजनिक इमारतों एवं व्यवसायिक/संस्थागत भवनों में आग लागने की अवधि एक घण्टा की अवधि तक और संभावित खतरा भी खतरा ही पूर्व सूचना भेजने वाले अभियंताक सेटों को सम्बन्धित जानक सावधान्य है।

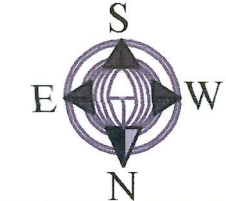
600 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत भूखण्डों में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की भी जांचेगी। मूल अवस्था के प्रकरणों के संशोधन भवन निर्माण करने निमित्त प्रमाणों द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में संपूर्ण मानचित्र प्रकाश होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

SUBMISSION

SCALE

1 : 100

DIRECTION



PROJECT :-
PROPOSED BUILDING AT PLOT
NO. 15-A, 16-A, 17-A, 18-A,
GULAB BARI, JAIPUR

OWNER

M/S KB BUILDERS
Partner's

ARCHITECT :-

THE
URBAN SQUARE
ARCHITECT , PLANNER , BPAS
BAPU NAGAR JAIPUR, (RAJ.)
Mobile- 9461302542



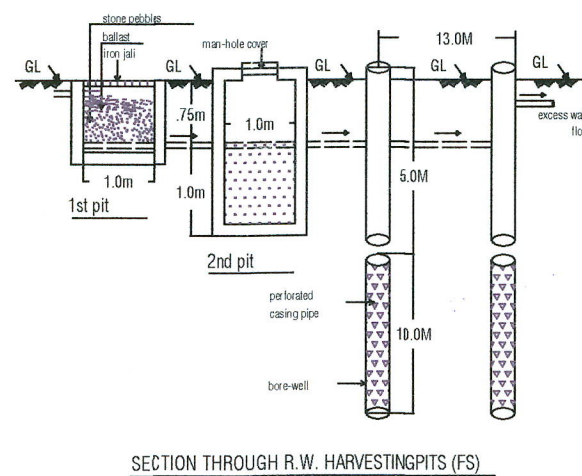
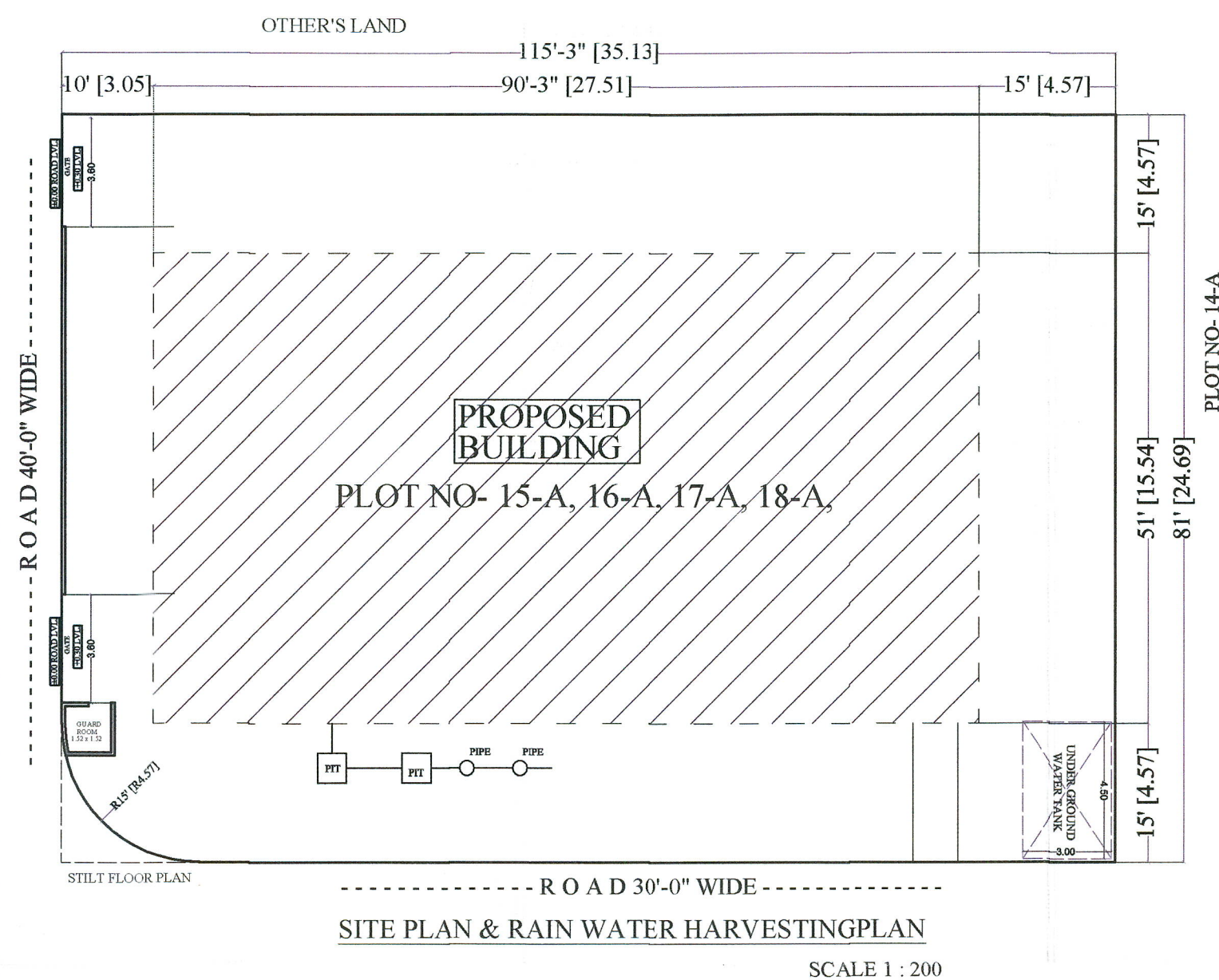
APPROVAL AUTHORITY /
REGISTERED ARCHITECT

Ar. Piyush Kumawat
32, Ship Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/196

----- ROAD 30'-0" WIDE -----

AREA CALCULATION TABLE (IN SQ.MT.)					
S.NO.	REFERENCE :-				
1	TOTAL PLOT AREA = 867.47 SQ.MT (1037.12 SQ.YD.)				
2	STANDARD B.A.R. = 867.47 x 2.00 = 1734.94 SQ.MT.				
3	PROPOSED B.A.R. = 3300.78 SQ.MT. (3.80%)				
	PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (3300.78) - (1734.94) = 1565.84 SQ.MT.				
4	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE =WITH IN SETBACKS				
	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACKS				
5	REQUIRE LANDSCAPE 10%= 86.74 Sq.mt.				
	PROPOSED LANDSCAPE = 87.01 Sq.mt. (10.03 %)				
6	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = STILT + 18.0 M.				
	PROPOSED HEIGHT = STILT + 18.0 M.				
7	SETBACKS	AS PER BYLAWS	PROPOSED		
	FRONT	3.05	3.05		
	SIDE 1	3.05 4.57	3.05 4.57		
	SIDE 2	4.57	4.57		
	REAR	4.57	4.57		
8	E.C.U. REQUIRED :-		PARKING	CARS	SCOOTERS
	RESIDENCE = 3300.78 / 115 = 28.70		STILT FLOOR	6	19
	10% VISITOR PARKING = 2.87		OPEN TO SKY	18	4
	28.70 + 2.87 = 31.57 ECU		VISITOR	3	-
	CAR = 24 , SCOOTER 23				
	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 24 , SCOOTER 23 (31.66 ECU)				
9	CLUB AREA REQUIRED ON STILT FLOOR				
	REQUIRED MINIMUM 2% OF PROPOSED B.A.R. OR 50 SQ.MT. (Whichever is Less)				
	CLUB AREA PROPOSED ON STILT FLOOR = 54.12 SQ.MT.				
10	REQUIRED ELECTRIC VEHICLE CHARGING POINT = 3 (10% Of Total Require Ecu.)				
	PROPOSED ELECTRIC VEHICLE CHARGING POINT= 3				
11	PROPOSED UNIT 6 (Unit per Floor) X 6 (Floor) = 36 Unit				

FLOOR WISE AREA TABLE (IN SQ.MT.)								
S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA	SHAFT	GROSS BUILTUP	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R.	CLUB
1	STILT	-	-	596.12	-	4.88	54.12	54.12
2	1st FLOOR	596.12	9.52	586.60	40.61	4.88	541.11	
3	2nd FLOOR	596.12	9.52	586.60	40.61	4.88	541.11	
4	3rd FLOOR	596.12	9.52	586.60	40.61	4.88	541.11	
5	4th FLOOR	596.12	9.52	586.60	40.61	4.88	541.11	
6	5th FLOOR	596.12	9.52	586.60	40.61	4.88	541.11	
7	6th FLOOR	596.12	9.52	586.60	40.61	4.88	541.11	
8	MUMTY / STAIR	-	-	44.82	-	-	-	
9	TOTAL	-	-	4160.54	-	-	3300.78	54.12



SECTION THROUGH R.W. HARVESTINGPITS (FS)

क्रमांक 05/RE/APPORN/2025/08
दिनांक 19/08/2025 के तहत अनुमोदित

हइन मानचित्रों का अनुपेक्षन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार ही प्रमाणित होंगे। अनुपेक्षित किये गये मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व संबंधितात्मक मानचित्रों के अनुरूप प्रकटीत होगा।

समस्त बहु निवास ईकान्त/सौदर्य/गुण हाउसिंग इमारतों
एक व्यवसायिक/समाजगत भावों में आग लगेते ही अतारों
एक साथ ही अग्निहोत्रन केवल एक संभावित स्थान की स्वतः
ही पूर्ण सुखना केवल यही अग्निहोत्रन यहाँ की लगेबाया
जाना आवश्यक है।

भौंडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में दिये गये निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों की सुनिश्चितता की जाती अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माता के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

डिजिटल वॉर्किंग पर बने वास्तविक/संसागत भूखण्डों में निकल कर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्राप्त करने में आवश्यकता **Examiner By Display** को लादेगी। उक्त प्रकार की प्रकृति को स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थायी दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रकाश होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

SCALE

1 : 100

DIRECTION

PROPOSED BUILDING AT PLOT
NO. 15-A, 16-A, 17-A, 18-A,
GULAB BARI, JAIPUR

M/S KB BUILDERS
Partner's

 THE
URBAN SQUARE
ARCHITECT , PLANNER , BPAS
BAPU NAGAR JAIPUR, (RAJ.)
Mobile- 9461302542

APPROVAL AUTHORITY /
REGISTERED ARCHITECT

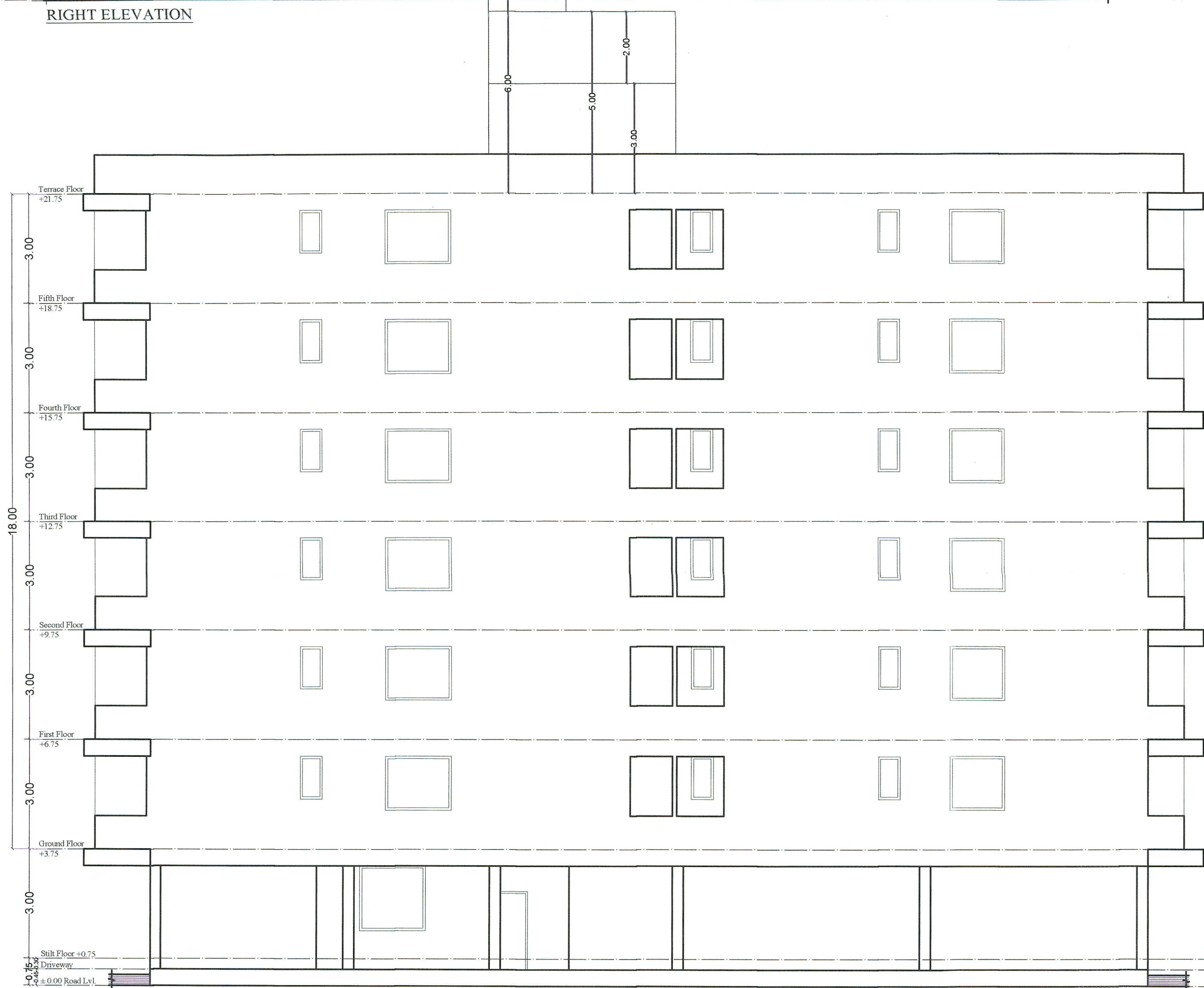
Ar. Piyush Kumawat
32, Ship Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/96



RIGHT ELEVATION



RIGHT SIDE ELEVATION



REAR ELEVATION

अनुमोदित
क्रमांक DS/132/ACPRVA/2021/08
दिनांक 15/08/2025 के तहत अनुमोदित

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसके बिना के समस्त संबंधित अधिकार ही प्रभावित होंगे। अनुमोदित किये गये मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का वास्तव संरचनात्मक मानचित्रों के अनुरूप प्रदर्शित होना होगा।

समस्त बहु निवास ईकाई/अपार्ट/गुरु हाउसिंग इमारतों एवं सामाजिक/संस्थागत भवनों में आगे समस्त ही अलग एक साथ ही अनिवार्य रूप से संयोजित स्थापना की स्वतः ही पूर्ण रूप से करने वाले अभ्यर्थक वर्गों को समायोजन प्राप्त आवश्यक है।

भारत राजस्व (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में उल्लिखित के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रिजर्व प्रवेशद्वारों की सुविधाओं की पूर्ण अनिवार्य होनी आवश्यक होगी निर्माता के विकास दण्डात्मक कार्यवाही को प्रभावित

600 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों में मोके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति आम जनता के अवलोकनार्थ Prominently Display की जायेगी। एका प्रकार के प्रदर्शनों के स्वीकृति भवन भवन/उप-भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रकाश होने की तिथि से एक वर्ष तक में प्रकाशित किया जायक अनिवार्य होगा।

SCALE = 1 : 100

PROJECT :-
PROPOSED BUILDING AT PLOT
NO. 15-A, 16-A, 17-A, 18-A,
GULAB BARI, JAIPUR

OWNER

M/S KB BUILDERS
Kishan Kumar
Partner's

ARCHITECT :-

THE URBAN SQUARE
ARCHITECT , PLANNER , BPAS
BAPU NAGAR JAIPUR, (RAJ.)
Mobile- 9461302542

Sanli Kumar Sanli
Reg. No.
CA/2019/
114099
Council of Architecture

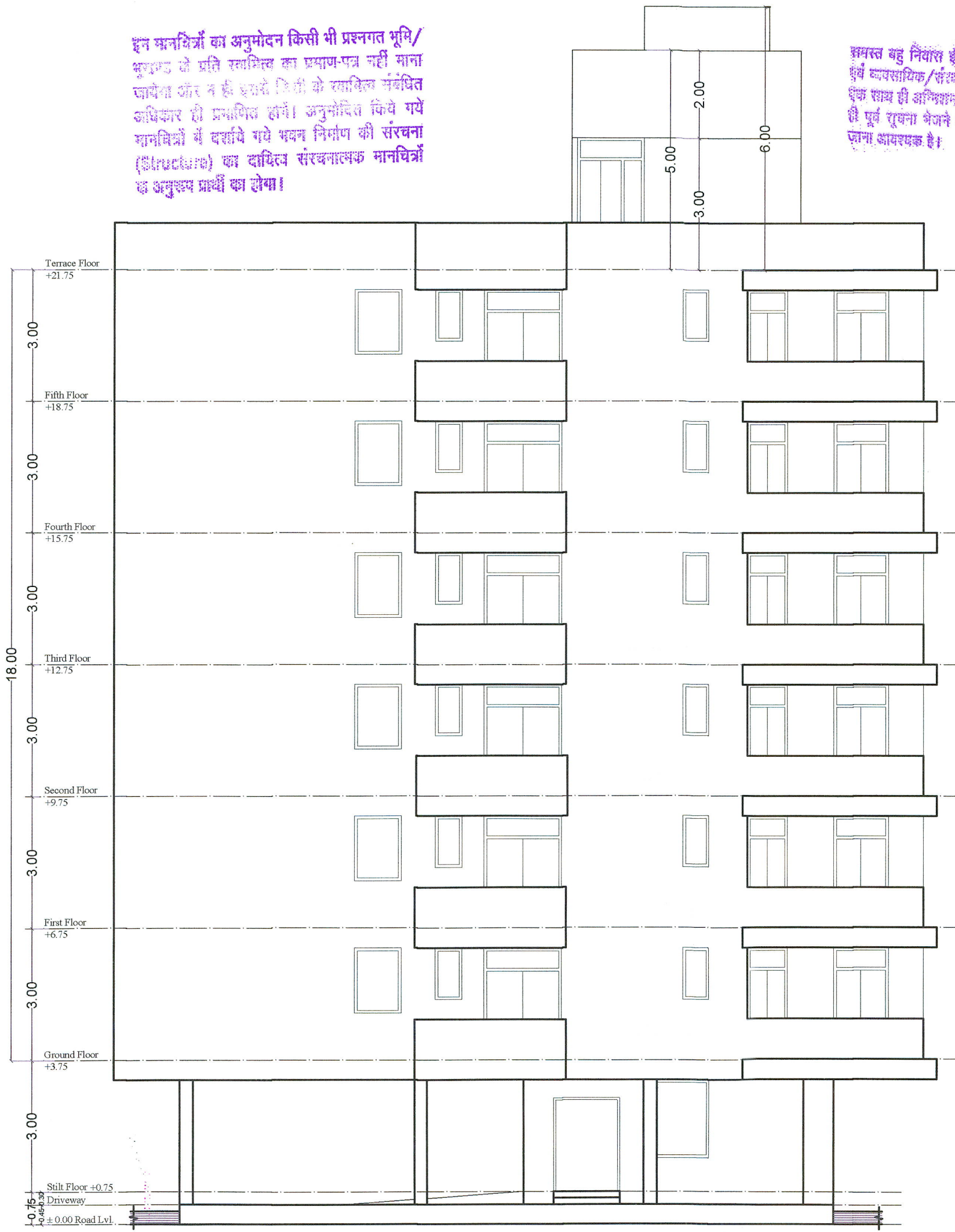
APPROVAL AUTHORITY /
REGISTERED ARCHITECT

Ar. Piyush Kumawat
32, Ship Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/06

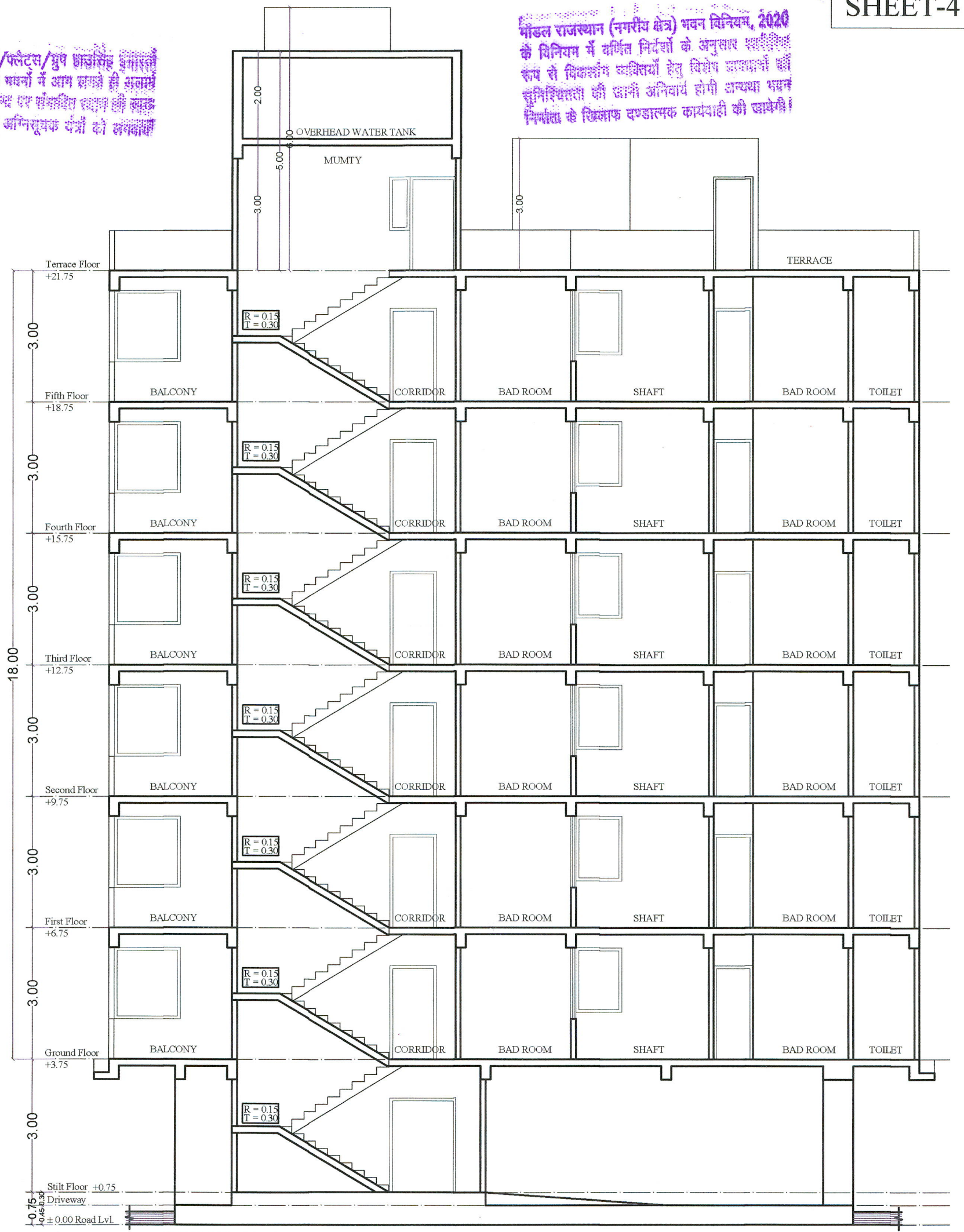
इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रस्तावित भूमि/ भूखण्ड को प्रति सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के सम्पत्ति सम्बंधित अधिकार ही प्रभावित होंगे। अनुमोदित किये गये मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व संरचनात्मक मानचित्रों व अनुमति प्रार्थी का होगा।

समस्त बहु निवास ईकाई/फ्लैट्स/घुप हाउसिंग इकाईएतद् व्यवसायिक/संस्थागत भवनों में आम लागू हो अर्थात् एक साथ ही अधिवासन केन्द्र पर संकलित रहाने की वृत्ति की पूर्ण रचना बेजने वाले अनिवार्यक पंजी को संलग्न करना आवश्यक है।

मंडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में वर्णित निर्देशों के अनुसार शर्तों व शर्तों से विकसित व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों की पुनर्विचार की जानी अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माण के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



LEFT SIDE ELEVATION

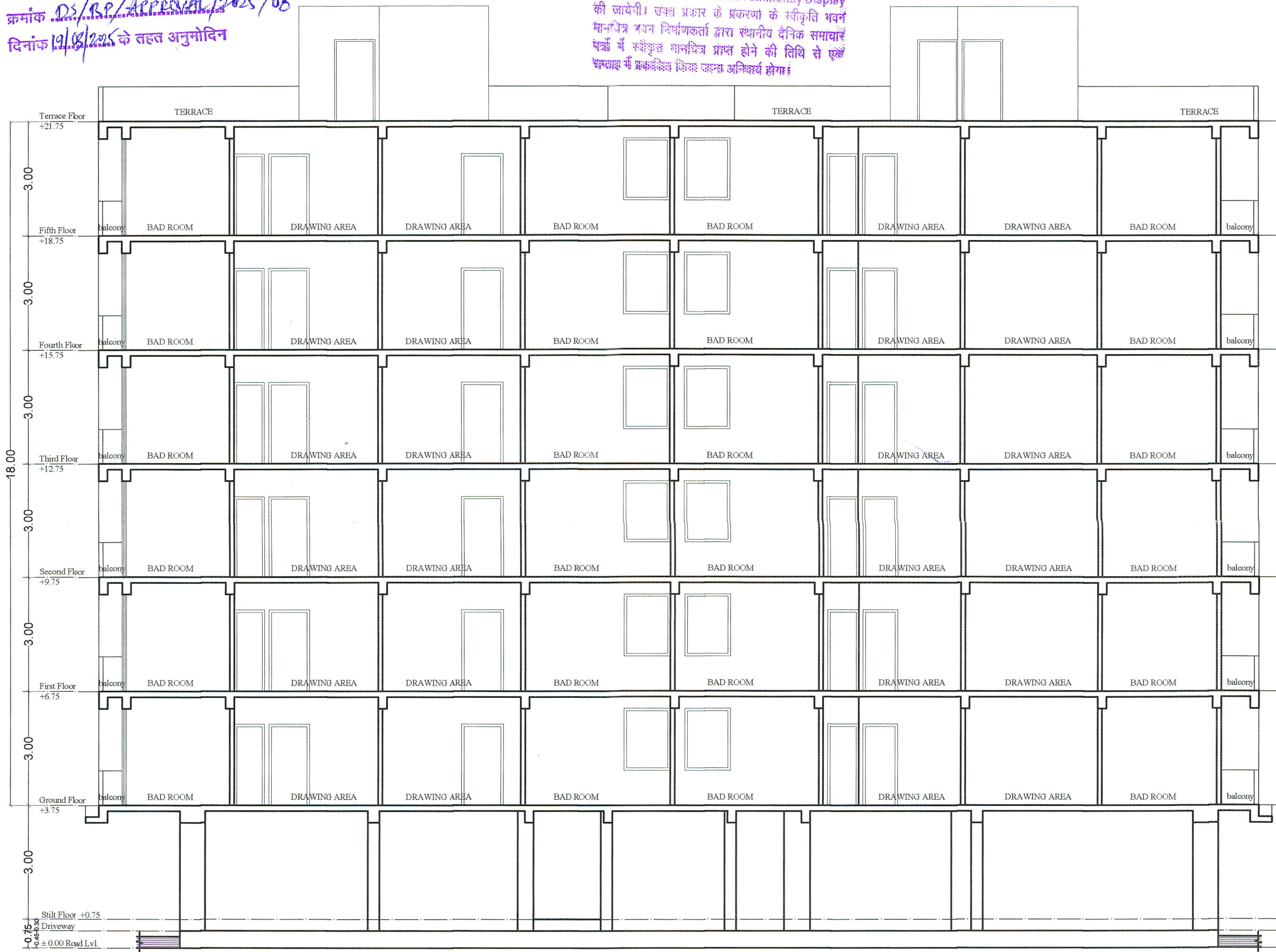


SECTION Y-Y

अनुमोदित

क्रमांक DS/RP/APP/2025/08
दिनांक 19/08/2025 के तहत अनुमोदित

500 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत भूखण्डों में भूके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति आम जनता को प्रमुखतापूर्वक Prominently Display की जायेगी। स्वतंत्र प्रकार के प्रकरणों के स्वीकृति भवन निर्माण भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रकाश होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।



SECTION X-X

SCALE = 1 : 100

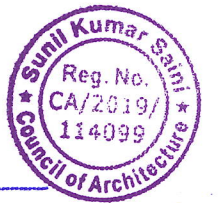
PROJECT :-
PROPOSED BUILDING AT PLOT
NO. 15-A, 16-A, 17-A, 18-A,
GULAB BARI, JAIPUR

OWNER

M/S KB BUILDERS
Partners

ARCHITECT :-

THE URBAN SQUARE
ARCHITECT, PLANNER, BPAS
BAPU NAGAR JAIPUR, (RAJ.)
Mobile- 9461302542



APPROVAL AUTHORITY /
REGISTERED ARCHITECT

Ar. Piyush Kymawat
32, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur
CA/2013/59085
CTP RAJ/Architect/2021/98